राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–3481/2022

नाहर सिंह रावत

–अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, शिक्षा विभाग, सचिवालय, जयपुर व अन्य।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश दिनांक : 09.09.2022

उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री शिवात्मा टांक, अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
मातादीन शर्मा, सदस्य

आदेश

मामलें की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुना गया।

अपीलार्थी का अभिकथन है कि अपीलार्थी द्वारा एक प्रतिवेदन दिनांक 23.06.2022 प्रत्यर्थी विभाग को दिया था जिसमें व्यक्तिगत कारणों को दर्शाते हुए यह निवेदन किया था कि अपीलार्थी का स्थानांतरण जयपुर जिले के कोटपूतली ब्लॉक में उसके द्वारा बताए गए विद्यालय में करें।

हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी व मनन किया और पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया।

अपील में अपीलार्थी ने यह प्रकट नहीं किया है कि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा कौनसा आलोच्य आदेश पारित किया गया है। केवल मात्र उसके चाहे गये इच्छित स्थान पर उसका स्थानान्तरण किये जाने की प्रार्थना की गई है। यह अधिकरण अपीलार्थी का स्थानान्तरण किसी निश्चित स्थान पर करने के सम्बन्ध में आदेश पारित नहीं कर सकता है। कर्मचारी का स्थानान्तरण राज्य

सरकार द्वारा जनहित अथवा प्रशासनिक आवश्यकताओं के दृष्टिगत किया जाता है। नियोक्ता को विशेषाधिकार है कि वह राज्यकर्मी की सेवाएं प्रशासनिक आवश्यकता में किस स्थान पर ले। किसी भी कार्मिक को स्थान विशेष पर पदस्थापित होने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। अपीलार्थी को किसी प्रकार का कोई वाद हैतुक उत्पन्न होना अभिलेख से दर्शित नहीं है। अतः प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए उसकी यह अपील अपरिपक्व होने से ग्राह्य किये जाने योग्य नहीं है और इस कारण ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही खारिज की जाती है।

(मातादीन शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)

R